


शुद्धि पत्र

इस कार्यालय पत्र संख्या शिक्षा-शिमला (5-2)विविध/2015-137806. 138356 दिनांक: 29.09.2016 का अवलोकन करें जिसके अर्न्तगत जिला शिमला के समस्त प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक, रा0व0मा0पा0/उ0पा0 व हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से मान्यता प्राप्त निजी व0मा0पा0/उ0पाठशालाओं को निर्देश दिये गये थे कि वह अपनी पाठशाला की कक्षा 8वी, 9वी और जमा एक के छात्रों की विषयवार संख्या व प्रति छात्र 20रू0 शुल्क की दर से सचिव हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के पक्ष में ड्राफ्ट बनाना होगा।

अतः इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आप अपनी पाठशाला की कक्षा 9वी व जमा एक के छात्रों की विषयवार संख्या व प्रति छात्र 20रू0 शुल्क की दर से सचिव हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के पक्ष में ड्राफ्ट बनाकर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को दिनांक: 06.10.2016 तक प्रेषित करें।


उप-शिक्षा निदेशक, उच्चतर,
शिमला, जिला शिमला-01